



# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 73/19-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

1. चमरा उराँव वो 2. बुधराम उराँव वो 3. बुधराम उराँव - विक्रेता  
बरनावास होरो - क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित														
12.08.21	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक 1. चमरा उराँव वो 2. बुधराम उराँव दोनों पिता स्व० महादेव उराँव वो 3. बुधराम उराँव पिता स्व० गन्दुरा उराँव सभी ग्राम-बरवादाग, पंचायत डेहकेला, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने बरनावास होरो पिता स्व० सरण होरो ग्राम-कोटलो, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="243 705 1356 884"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">बरवादाग</td> <td rowspan="3">52</td> <td rowspan="3">22</td> <td>515</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>516</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.50</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद सं० 1931626 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 189 दिनांक 08.03.2021 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम महादेव उराँव वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार महादेव उराँव के नाम भूमि का रकबा 31.41 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 31.41 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016-17 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 2984.00(दो हजार नौ सौ चौरासी)रु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 30.91 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना कर्रा के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, कर्रा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण 1. चमरा उराँव वो 2. बुधराम उराँव दोनों पिता स्व० महादेव उराँव वो 3. बुधराम उराँव पिता स्व० गन्दुरा उराँव को बरनावास होरो पिता स्व० सरण होरो के साथ ग्राम बरवादाग के खाता सं० 22 खेसरा संख्या 515, 516 का कुल रकबा 0.50 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 2984.00(दो हजार नौ सौ चौरासी)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।</p> <p>इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: right;"></p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	बरवादाग	52	22	515	0.40	516	0.10		0.50	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)												
बरवादाग	52	22	515	0.40												
			516	0.10												
				0.50												